SHEMFORD®
FUTURISTIC SCHOOL

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

आजमगढ़ ।

दिनांक
23/05/2016

विषय- अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए आवेदन ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल पटवध कौतुक, आजमगढ़ मे कक्षा एल. के. जी (L.K.G) से कक्षा आठ (8) तक यू० पी० बोर्ड की मान्यता के अन्तर्गत चल रहा है। स्कूल इस वर्ष सी० बी० एस० ई० (CBSE) की मान्यता के लिए आवेदन कर रहा है। आपसे अनुरोध है कि सी० बी० एस० ई० (CBSE) की मान्यता प्राप्त करने के लिए हमे अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रदान करने की कृपा करे ।

धन्यवाद

शेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल
पटवध कौतुक, आजमगढ़

VIPIN RAI
(Associate Chairman)
For-Shemford Futuristic School
Azamgarh
Vipin Rai
Authority Signatory

अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हेतु

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आजमगढ़।

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक/पोस्ट मास्टर,
बैंक आफ बड़ौदा पटवध,
आजमगढ़।

पत्रांक– 13091-92 /2014–15 दिनांक– 7-11-14

विषयः– **विद्यालय के सुरक्षित, संदान एवं स्थायी कोष में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि, अशासकीय नर्सरी/ प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाई स्कूल) अंग्रेजी माध्यम माध्यम के विद्यालय हेतु निम्न विवरण के अनुसार कोष जमा किये जाने का प्राविधान हैः–

1– **अंग्रेजी माध्यम के प्राइमरी स्तर तथा प्री–प्राइमरी एवं प्राइमरी स्तर हेतुः–**

1– विद्यालय के सुरक्षित कोष के रूप में रू0 10,000/– (रू0 दस हजारन मात्र) की एन0एस0सी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद नाम से प्लेज्ड होगी।

2– **अंग्रेजी माध्यम के प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल स्तर की मान्यता हेतुः–**

1– सुरक्षित कोष के रूप में रू0–10,000/– (रू0दस हजार मात्र) की एन0एस0सी0 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद नाम से प्लेज्ड होगी।

2– विद्यालय का संदान रू0–20,000/–मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथाः–

(क) नकद धनराशि।

(ख) सरकारी जमानत।

(ग) अचल सम्पत्ति।

3– स्थायी कोष के रूप में रू0–5,000/–(रू0 पॉच हजार) मात्र का एक कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद नाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में प्रबन्धक, सेम्फोर्ड पब्लिक स्कूल, ... आजमगढ़ द्वारा क्रमांक–1/2 की मान्यता हेतु आवश्यक धनराशि आपके बैंक में जमा करने हेतु अनुमति मॉगी गई है।

अतः प्रबन्धक द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आलोक में आपके बैंक में उपरोक्तानुसार विभिन्न मदों में मद धनराशि प्लेज करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आजमगढ़।

पृ0सं0/ 13091-92 /2014–15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–प्रबन्धक, सेम्फोर्ड पब्लिक स्कूल, ... आजमगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
आजमगढ़।